कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक 56 /प्र.अ./डब्लूआरसी./लोस्वायॉवि/भोपाल, दिनांक 06 फरवरी 2015

// आदेश //

आगामी ग्रीष्मकाल में जल स्तर में गिरावट के कारण संभावित पेयजल संकट के निवारण की सतत निगरानी हेतु सूखा राहत प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसके प्रभारी श्री सुनील कुमार खरे, कार्यपालन यंत्री (मोनि.) होंगे।

विगत वर्षों की भॉति इस वर्ष भी पेयजल संकट की मॉनीटरिंग हेतु परिक्षेत्र/मण्डल एवं खण्ड स्तर पर सूखा राहत प्रकोष्ठ का गठन किया जावे एवं उनके प्रभारियों के नाम एवं दूरभाष/मोबाइल नंबरों को जनसंपर्क विभाग के माध्यम से स्थानीय पत्रों में प्रकाशित कराया जावे तथा कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जावे इस हेतु मैदानी अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1.1 पेयजल संकट उत्पन्न न हो इसलिए यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रदेश में निर्मित सभी पेयजल स्त्रोतों से पेयजल प्राप्त होता रहे।

1.2 प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित नलकूपों का जल स्तर विभागीय अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से लिया जाय ताकि जल स्तर में हो रहे उतार–चढ़ाव से क्षेत्र विशेष के भू–जल स्तर में हो रहे परिवर्तन की जानकारी प्राप्त हो सके।

1.3 नलकूप में ड्रा डाउन के पश्चात् स्थिर जल स्तर (Static Water Level) ज्ञात कर, राईज़र पाईप की लम्बाई निश्चित की जाना चाहिये तथा आवश्यकतानुसार यह कार्य माह फरवरी 2015 के अंत तक पूर्ण कर लिया जाय ताकि ग्रीष्मकाल में समस्त हैण्डपंप/पावर पंप चालू हालत में रखे जा सकें।

1.4 पर्याप्त जल आवक क्षमता के ऐसे नलकूप जिनमें जल स्तर नीचे जाने के कारण हैण्डपंप से पेयजल प्राप्त किया जाना संभव न हो, पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप स्थापित कर पेयजल उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जा सकती है।

1.5 पेयजल संकट के निवारण हेतु जो कार्य करवाये जाने हैं, वे शाश्वत परिहार्य (Sustainable Category) श्रेणी के होना चाहिए ताकि उस क्षेत्र में आगामी वर्षों में भी पेयजल संकट का सामना न करना पड़े।

1.6 बंद नलजल योजनाओं को ग्राम पंचायत से संपर्क कर तत्काल चालू करवाया जाए। यदि योजना स्त्रोत सूख जाने से बंद हैं तो नवीन स्त्रोत का निर्माण कर योजना चालू करवाने का दायित्व विभाग का है। नलजल प्रदाय योजनाएं चालू रखे जाने हेतु निरंतर अनुश्रवण किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः...2....

1.7 अधीक्षण यंत्री, संभाग स्तर पर संभागायुक्त एवं कार्यपालन यंत्री जिले के कलेक्टर से सत्त संपर्क बनाये रखना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश में पेयजल समस्या संबंधी विषय उनके ध्यान में लाया जाकर उनका निराकरण किया जा सके।

1.8 पेयजल संकट के निराकरण हेतु किये गये कार्यों की दैनिक प्रगति प्रतिदिन प्रकोष्ठ प्रभारी को ई–मेल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(जी.एस.डमोर) 6/2/15
प्रमुख अभियंता

क्रमांक 57 /प्र.अ./डब्लूआरसी./लोस्वायॉवि/भोपाल, दिनांक 06 फरवरी 2015
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/ग्वालियर एवं जबलपुर।
3. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी मण्डल समस्त म0प्र0।
4. श्री सुनील कुमार खरे, कार्यपालन यंत्री (मोनि.),कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल म0प्र0।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी खण्ड समस्त म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6/2/15
प्रमुख अभियंता